



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 30, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 2672/77-3-2020-90(एम)-2020

लखनऊ, 21 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-451

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला झॉंसी, तहसील गरौटा के ग्राम एरच में 16.1542 हेक्टेयर, गेंदाकबूला में 3.8484 हेक्टेयर, झबरा में 0.1010 हेक्टेयर, कठर्री में 0.1253 हेक्टेयर, नैकेरा में 3.0147 हेक्टेयर कुल 23.2436 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था। जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दी है जिसने दिनांक 10.12.2020 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :-

(क) इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर प्रदान करके इस धनराशि के अनुवर्ती उपयोग से अवशेष जोत का उन्नयन, फार्म मशीनरी में वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों के विकास के फलस्वरूप उत्पादन में आने वाली कमी को निश्चित रूप से पूर्ण किया जा सकता है।

- (ख) परियोजना किसी ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। न ही इस परियोजना से कोई प्रमुख आबादी प्रभावित हो रही है। इस कारण परियोजना से विस्थापन की संभावना नगण्य है।
- (ग) परियोजना में भूमि अर्जन से प्राप्त प्रतिकर की धनराशि से वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बेहतर आवासीय सुविधाओं का निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास तथा उत्तम कृषि तकनीकी का विकास होना अवश्यभावी है। इससे कृषि भूमि की कमी को पूर्ण किया जा सकेगा।
- (घ) अधिकांशतः प्रभावित क्षेत्र में दलहन और तिलहन की फसलें होती हैं तथा चावल का उत्पादन लगभग नगण्य होता है। इस क्षेत्र में परियोजना के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- (ङ) अतएव, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार है :-
- (एक) जिला झांसी में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
- (दो) इस परियोजना की सम्भावित प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक है और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग/कलेक्टर, झांसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

6-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में०)
1	2	3	4	5	6
झांसी	गरौठा	गरौठा	एरच	2761 / 1	0.4940
				2763 / 3	0.0810
				2764	0.2310
				2772	0.0438
				2775 / 3	0.1312
				2777 / 2	0.0080
				2778 / 2	0.1460
				2779	0.0810
				2780 / 2	0.7740
				2781 / 1	0.2230
				2781 / 3	0.0100
				2783 / 2	0.4180
				2789 / 2	0.0530
				2789 / 3	0.0120
				2790 / 1	0.0367
				2791	0.0232
				2799 / 1	0.2400
				3248	0.1980
				3249	1.0610
				3258 / 3765	0.0360
				3278 / 2	0.3840

1	2	3	4	5	6
झांसी	गरौठा	गरौठा	एरघ	3294 / 3	0.0410
				3335 / 3	0.0040
				3337	0.6040
				3367	0.2590
				3370 / 3770	0.2020
				3399	0.6720
				3400	1.9310
				3401	2.5040
				3429	0.0863
				3434 / 1	0.4130
				3443	0.9550
				3530	0.6800
				3531	0.9100
				3536	0.0490
				3577	1.0785
				3598	0.4170
				3599	0.2065
				3663	0.1900
				3665	0.2060
				3676	0.0410
				3658 / 3762	0.0200
				योग	16.1542
			गेंदाकबूला	80 / 1	0.1050
				93 / 1	0.0320
				378 / 2	0.0037
				383	0.1229
				403 / 2	0.0610
				416	0.1800
				417 / 2	0.0010
				424 / 2	0.0040
				491	0.0065
				558	0.1872
				559	0.3280
				560	0.6230
				619 / 2	0.0163
				679	0.0320
				702	0.4780
				722	0.0040
				723	0.0040
				725	0.0356
				772	1.5010
				788 / 2	0.1032
				754 / 830 / 3	0.0200
				योग	3.8484

1	2	3	4	5	6
झांसी	गरौठा	गरौठा	झबरा	77	0.1010
				योग	0.1010
			कठरी	238	0.0160
				239	0.0040
				272	0.0385
				273	0.0205
				215	0.0433
				246	0.0018
				358	0.0012
				योग	0.1253
			नैकेरा	125	0.0240
				89	1.3230
				207	0.0175
				208	0.6024
				210 / 1	0.0704
				213 / 2	0.0029
				237	0.0040
				243	0.9310
				171	0.0150
				173	0.0245
				योग	3.0147
				कुल योग	23.2436

7—राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने और भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिये भी कलेक्टर को प्राधिकृत करती है।

8—उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन, भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के लिये लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—उक्त अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन, कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर, झांसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2672/LXXVII-3-2020-90 (M)-2020 dated December 21, 2020:

No. 2672/LXXVII-3-2020-90(M)-2020

Dated Lucknow, December 21, 2020

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 23.2436 Hectares of land is required in the village Erach 16.1542 Hect., Gendakabula 3.8484 Hect., Jhabra 0.1010 Hect., Kathri 0.1253 Hect., Naikera 3.0147 Hect., in Tehsil Garautha, district Jhansi for public purpose, namely first phase of Defence Industrial Corridor Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency which submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on 10-12-2020.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows:-

(a) The reduction in area suitable for Agriculture in villages affected by and as a result of the Project is obvious, but by compensating the affected farmers as per the provisions of the Act and subsequent utilization of this amount for the development by betterment of the remaining agricultural Land patch, increase in farm machinery and development of means of irrigation, the loss of production can definitely be compensated for.

(b) The project is not affecting the complete or major area of any village. The project is not affecting any major population either. For this reason the displacement because of the project is negligible.

(c) Development in alternate employment opportunities, construction of better residential facilities, development of means of transportation and development of better agricultural techniques is certain because of the compensation amount obtained by the acquisition of land for the project, this would be able to compensate for the loss of agricultural land.

(d) Mostly pulses and oilseeds are cultivated in the affected area and the production of rice is almost negligible. Different employment opportunities will be made available direct and indirect ways by the construction of the project in this area.

(e) Therefore, the recommendations of Multi Disciplinary Expert Group is as follows:-

(one) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Defence Industrial Corridor Project in District Jhansi and it serves the public purpose.

(two) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area affected by Defence Industrial Corridor Project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Jhansi as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of said Act. It is also mentioned in clause(b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated on the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose:-

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (in hect.)
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Garautha	Garautha	Erach	2761 / 1	0.4940
				2763 / 3	0.0810
				2764	0.2310
				2772	0.0438
				2775 / 3	0.1312
				2777 / 2	0.0080
				2778 / 2	0.1460
				2779	0.0810
				2780 / 2	0.7740
				2781 / 1	0.2230
				2781 / 3	0.0100
				2783 / 2	0.4180

1	2	3	4	5	6
Jhansi	Garautha	Garautha	Erach	2789 / 2	0.0530
				2789 / 3	0.0120
				2790 / 1	0.0367
				2791	0.0232
				2799 / 1	0.2400
				3248	0.1980
				3249	1.0610
				3258 / 3765	0.0360
				3278 / 2	0.3840
				3294 / 3	0.0410
				3335 / 3	0.0040
				3337	0.6040
				3367	0.2590
				3370 / 3770	0.2020
				3399	0.6720
				3400	1.9310
				3401	2.5040
				3429	0.0863
				3434 / 1	0.4130
				3443	0.9550
				3530	0.6800
				3531	0.9100
				3536	0.0490
				3577	1.0785
				3598	0.4170
				3599	0.2065
				3663	0.1900
				3665	0.2060
				3676	0.0410
				3658 / 3762	0.0200
				Total	16.1542
			Gendakabula	80 / 1	0.1050
				93 / 1	0.0320
				378 / 2	0.0037
				383	0.1229
				403 / 2	0.0610
				416	0.1800
				417 / 2	0.0010
				424 / 2	0.0040
				491	0.0065
				558	0.1872
				559	0.3280
				560	0.6230
				619 / 2	0.0163
				679	0.0320

1	2	3	4	5	6
Jhansi	Garautha	Garauth	Gendakabula	702	0.4780
				722	0.0040
				723	0.0040
				725	0.0356
				772	1.5010
				788 / 2	0.1032
				754 / 830 / 3	0.0200
				Total	3.8484
			Jhabra	77	0.1010
				Total	0.1010
			Kathri	238	0.0160
				239	0.0040
				272	0.0385
				273	0.0205
				215	0.0433
				246	0.0018
				358	0.0012
				Total	0.1253
			Naikera	125	0.0240
				89	1.3230
				207	0.0175
				208	0.6024
				210 / 1	0.0704
				213 / 2	0.0029
				237	0.0040
				243	0.9310
				171	0.0150
				173	0.0245
				Total	3.0147
				Grand Total	23.2436

7. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

8. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under Section 11 (4) of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note :- A Site Plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Jhansi.

By order,
ALOK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 538 राजपत्र-2020-(1116)-599 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 औद्योगिक विकास-2020-(1117)-250 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।